

**प्रेस नोट**

**थाना मेंहनाजपुर**

**छेड़खानी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना-** दिनांक 26.03.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि धर्मदेव का रिश्तेदार प्रवेश पुत्र शोमारू निवासी हरिहरपुर ( बढयापार ) थाना चन्दवक जिला जौनपुर में घर पर आया और मेरी पांच साल की बेटी को टाफी दिलावाने के बहाने गेहू के खेत में ले जाकर उसके साथ छेड़खानी किया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-39/24 धारा 354 क भा0द0वि0 व 9(M)/10 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना व0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार के द्वारा की जा रही है।

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 26.03.24 को व0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त प्रवेश पुत्र शोमारू निवासी हरिहरपुर ( बढयापार ) थाना चन्दवक जिला जौनपुर को सिधौना बाजार से समय करीब 10.35 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-** मु.अ.स. 39/24 धारा 354 क भा0द0वि0 व 9(M)/10 पाक्सो एक्ट थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

**आपराधिक इतिहास:-** मुकदमा उपरोक्त

**गिरफ्तार अभियुक्त-** प्रवेश राम पुत्र सोमारू निवासी हरिहरपुर ( बढयापार ) थाना चन्दवक जनपद जौनपुर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-** व0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार, UTSI विक्रान्त मिश्रा, का0दिवाकर कुमार, म0का0 सोमवती थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

**प्रेस-विज्ञप्ति**

**जनपद आजमगढ़ में पुलिस चुनाव मित्र कंट्रोल रूम की नयी शुरूआत, जारी किये गये हेल्पलाइन नम्बर जो 24 घण्टे रहेंगे सक्रिय**

दिनांक- 23.03.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान के दृष्टिगत जनपद आजमगढ़ में जनता एवं पुलिस के बीच समन्वय स्थापित किये जाने हेतु **पुलिस चुनाव मित्र** नाम से एक कंट्रोल रूम बनाया गया है।

➡ इस कंट्रोल रूम में 15 आरक्षी/ मुख्य आरक्षी एवं महिला आरक्षी नियुक्त हैं। जिनके द्वारा जनपद के प्रत्येक गांव के कम से कम 10 लोगों से जरिये दूरभाष सम्पर्क कर आगामी लोकसभा चुनाव को शान्तिपूर्ण तरीके से सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु वार्ता किया जायेगा।

➡ किसी भी व्यक्ति द्वारा आगामी लोक सभा चुनाव के सम्बन्ध में अपने गांव अथवा मतदान केन्द्र से सम्बन्धित कोई भी गोपनीय जानकारी **गोपनीय हेल्पलाइन नंबर 05462297573** पर दिया जा सकता है, जिसकी पहचान पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी।

➡ क्षेत्र के अराजक तत्वों द्वारा अपने पक्ष में वोट दिलाये जाने हेतु अवैध रूप से शराब, पैसा अथवा अन्य कोई भी वस्तु का लालच दिये जाने की सूचना पुलिस चुनाव मित्र कंट्रोल रूम में प्रत्येक दिन 24 घण्टे दिया जा सकता है।

➡ क्षेत्र के प्रभावशाली, अराजक तत्वों द्वारा गरीब व असहाय मतदाताओं को डरा धमका कर अपने पक्ष में वोट दिलाये जाने की सूचना घर बैठे-बैठे ही पुलिस चुनाव मित्र कंट्रोल रूम में दिया जा सकता है।